<u>न्यायालयः श्रीमती रविना चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम, जिला रतलाम (म0प्र0)</u>

UNCR NO.-796/2023
परामल वि. मारूति

13.08.2026

परिवादी पिरामल फाईनेंस कंपनी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधी प्रतिक झवेर अनुपस्थित। उसकी ओर से अधिवक्ता श्री दीपेश शर्मा उपस्थित।

प्रकरण परिवादी के धारा 200 द.प्र.स. के कथन हेतु नियत है।

परिवादी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर धारा 200 द. प्र.स. के कथन हेतु समय चाहा।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी पिरामल फाईनेंस कंपनी ने अनावेदकगण मारूती कोरियर सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, अजय, मौलिक रामभाई, अनुपम, प्रवीण के विरूद्ध परिवाद पत्र दिनांक 12.09.2023 को धारा 406, 425, 120बी भा.द.स. के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। प्रकरण में परिवादी उक्त दिनांक से आज दिनांक तक धारा 200 द.प्र.स. के कथन हेतु उपस्थित नहीं हुआ है। आज दिनांक को भी परिवादी के अधिवक्ता ने कोई उचित कारण दर्शित नहीं किया है। पूर्व पेशी दिनांक 11.07.2026 को अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। इस कारण आज दिनांक को उचित कारण प्रस्तुत ना करने से धारा 200 द.प्र.स. के कथन प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाता है। प्रकरण में परिवादी के धारा 200 द.प्र.स. के कथन नहीं हुये है। इस कारण प्रकरण में 200 द.प्र.स. के कथन प्रस्तुत नहीं होने से परिवाद पत्र पर अन्य कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः परिवादी के कथनों के अभाव में परिवाद पत्र खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. 3.2 में दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावें।

सही/—

श्रीमती रविना चौधरी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रतलाम, जिला रतलाम म.प्र.